उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या: 1288/2023-सी0एक्स0-3
लखनऊ: दिनॉक 23नवम्बर, 2023

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग पावरग्रिड 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, जिला-बागपत से उत्तर प्रदेश के जिला-बागपत, शामली, बडौ□त, मोदीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र को विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है ;

और चूँकि उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड□ने सम्बन्धी सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या:एस0ओ0 1285 ,दिनॉक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया नीचे दी गयी अधिसूचना संख्या:740/2023-सी0एक्स0-3, दिनॉक 26 जून, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं ;

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् -

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टियॉं	
पावरग्रिड कोर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, ग्राम-ट्योढी□ तहसील-बडौ□त, जिल ा-बागपत, उत्तर प्रदेश ।	
पूर्व में -	कृषि भूमि खसरा संख्या-45 और 49 (ग्राम-शिकोहपुर) ।
पश्चिम में -	दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग।
उत्तर में -	रास्ता, खसरा संख्या-829 और कृषि भूमि खसरा संख्या-828 (ग्राम-ट्योढ़ी)।
दक्षिण मे -	कृषि भूमि खसरा संख्या-831 स्थित ग्राम-ट्योढी□, कृषि भूमि खसरा संख्या-48 स्थ ित ग्राम-शिकोहपुर।

आज्ञा से,
Signed by संजय प्रसाद
Date: 21-11-2023 12:30:15
(संजय प्रसाद)
Reason: Approved
प्रमुख सचिव।